दिनांक 13.04.2015 को श्री आभान्शु सी० जैन, संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–अपर निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में ई–गर्वनेंस की बैठक संबंधित कार्यवाही।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–अपर निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा कृषि विभाग में चल रहे ई–गर्वनेंस के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तैयार MIS में डाटा इण्ट्री की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई एवं निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. राज्य के सभी किसानों, जिनकी संख्या लगभग 72 लाख है, के कृषि MIS Application के द्वारा पंजीकरण किया जाना है। लगभग 5 लाख 72 हजार किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है, शेष किसानों का पंजीकरण CSM Technologies से प्राप्त विहित प्रपत्र के माध्यम से कृषि समन्वयकों/किसान सलाहकारों की मदद से किया जायेगा।
2. किसानों को पंजीकृत करने हेतु CSM Technologies को दिनांक 17.04.2015 तक आवेदन प्रारूप तैयार करने का निदेश दिया गया है।
3. CSM Technologies को कृषि MIS Application में आधार कार्ड से जोड़ने हेतु निदेशित किया गया है।
4. राज्य में कृषि समन्वयकों/किसान सलाहकारों की संख्या लगभग 8,000 है। अतः प्रत्येक कृषि समन्वयकों/किसान सलाहकारों द्वारा अनुमानतः एक हजार किसानों का पंजीकरण किया जायेगा। अपर कृषि निदेशक प्रत्येक पंजीकरण हेतु कृषि समन्वयकों/किसान सलाहकारों को 10 रूपये मानदेय देने का प्रस्ताव देंगे।
5. किसानों को पंजीकरण कराने हेतु आवेदन प्रपत्र संबंधित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (आत्मा) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
6. वैसे किसान, जिनका पंजीकरण किया जा चुका है, उन्हें दोबारा पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।
7. कृषि समन्वयकों/किसान सलाहकारों को पंजीकरण कराने पर तभी मानदेय दिया जायेगा, जब वे MIS Application के प्रयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध कराये गये LOGIN ID से पंजीकरण करेंगे।
8. वैसे किसान, जो किसी योजना के लिए पहले से पंजीकृत किये जा चुके हैं तथा जिनके आवेदन को पूर्व में सत्यापित किया जा चुका है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
9. मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं में लगभग 2,72,000 किसानों का पंजीकरण किया गया है, जिन्हें कृषि MIS Application में Merge करने हेतु CSM Technologies को निदेशित किया गया है।

15/04/15

(आभान्शु सी० जैन)
संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–
अपर निदेशक, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 299 दिनांक :– 15.04.2015

प्रतिलिपिः– कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/उद्यान निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक PPM/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक, बामेती/संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/CSM Team को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित

15/04/15

15.04.15

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–
अपर निदेशक, कृषि विभाग
बिहार, पटना।